

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2018/936

आदेश

दिनांक:- 29-11-18

आवासीय अभियन्ता, खण्ड-तृतीय, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर के अधीन सेक्टर-7 जोन 76 में अनिस्तारित मध्यम आय वर्ग (अ) स्वतंत्र 12 डुप्लेक्स आवासों का निस्तारण नीलामी के माध्यम से किये जाने के संबंध में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम की अनुशंसा के आधार पर नीलामी के माध्यम से सेक्टर-7 प्रतान नगर, सांगानेर, जयपुर में नीचे वर्णित डुप्लेक्स आवासों के निस्तारण करने की स्वीकृति एतद् प्रदान की जाती है, अतः निस्तारित किये जाने वाले आवासीय आवासों का विवरण नियमानुसार है:-

क्र.स.	भूखण्ड संख्या	साईज (मी.)	क्षेत्रफल (व.मी.)	विवरण
1	76/240	6.00 X 12.00	72.00	
2	76/284	6.00 X 12.00	72.00	
3	76/287	6.00 X 12.00	72.00	
4	76/299	6.00 X 12.00	72.00	
5	76/318	6.00 X 12.00	72.00	
6	76/330	6.00 X 12.00	72.00	
7	76/336	6.00 X 12.00	72.00	
8	76/346	6.00 X 12.00	72.00	
9	76/383	6.00 X 12.00	72.00	
10	76/392	6.00 X 12.00	72.00	
11	76/393	6.00 X 12.00	72.00	
12	76/331	6.00 X 12.00	72.00	

संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता उक्त आवासीय आवासों का निस्तारण निम्न शर्तों पर किया जाना सुनिश्चित करें:-

1. आवासीय योजना में आवास/प्लेट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याचिका को आवास/प्लेट/आवंटन आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुये हो लम्बित नहीं है।
 2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/प्लेट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव संपदा उलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मंडल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.14 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावें।
 3. आवास/प्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रसार-प्रचार के माध्यम से किया जावें।
 4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/प्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं है। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।"
 5. आवास/प्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावें।
- उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त का पैरा संख्या 47/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तिय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति. निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु.), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक